

INSTRUCTION SHEET

- a) For the purpose of exercising their votes or contesting elections, member societies will nominate their representative (Voter) who shall be Chairman/President/Chief Executive or duly authorized member of the Board and in case there is no Board, the Administrator or the member of the Board of Administrators by whatever name called.
- b) Fresh resolutions from member societies in this connection shall be required for the election of delegates.
- c) A certified copy of the resolution of the Managing Committee/Order of the Competent Authority of the Society in support of the above nomination must be enclosed with 'Form RGB'.
- d) The resolution/order copy must bear the seal of the Society.
- e) The copy of the resolution should be certified/attested by the Assistant Registrar of Cooperatives Societies or Field Officer of KRIBHCO.
- f) The signature of the Representative (Nominee) on 'Form RGB' will be taken as base to verify his signatures on subsequent forms.
- g) The 'Form RGB' should be complete in all respects. Incomplete forms are liable to be rejected and no responsibility of any nature shall lie with Chief Coordinator for formation of RGB or his office.
- h) Filled in nominations can be sent to elections2024@kribhco.net as an advance copy. However, hard copy should also be sent by post.
- i) A separate link of 'KRIBHCO Election' is given in the official website of KRIBHCO i.e. www.kribhco.net for accessing information regarding Election. Member Societies can access the information by logging in to the link by using their Application Number as User Id and Membership Number as Password.

निर्देश पत्र

- a) मतदान करने या चुनाव में भाग लेने के लिए, सदस्य समितियाँ अपने प्रतिनिधि (मतदाता) को नामांकित करेंगी, जो अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी या बोर्ड और यदि कोई बोर्ड नहीं है, तो प्रशासक या प्रशासकों के बोर्ड का सदस्य जो भी नाम से जाना जाता है, के द्वारा उचित रूप से अधिकृत सदस्य होंगे।
- b) प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए इस संबंध में सदस्य समितियों से नए प्रस्तावों की आवश्यकता होगी।
- c) ऊपर दिए गए नामांकन के समर्थन में प्रबंध समिति के प्रस्ताव/समिति के सक्षम प्राधिकारी के आदेश की एक प्रमाणित प्रति 'फॉर्म आरजीबी' के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
- d) प्रस्ताव/आदेश की प्रति पर समिति की मुहर होनी चाहिए।
- e) प्रस्ताव की प्रति को सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार या कृभको के फील्ड अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित किया जाना चाहिए।
- f) 'फॉर्म आरजीबी' पर प्रतिनिधि (नामांकित व्यक्ति) के हस्ताक्षर को बाद में आने वाले फॉर्मों पर उनके हस्ताक्षर सत्यापित करने के लिए आधार माना जाएगा।
- g) 'फॉर्म आरजीबी' सभी मामलों में पूर्ण होना चाहिए। अधूरे फॉर्मों को अस्वीकार किया जा सकता है और आरजीबी गठन के लिए मुख्य नोडल अधिकारी या उनके कार्यालय की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
- h) भरे हुए नामांकन को elections2024@kribhco.net पर अग्रिम प्रति के रूप में भेजा जा सकता है। हालांकि, हार्ड कॉपी भी डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए।
- i) चुनाव संबंधी जानकारी के लिए कृभको की आधिकारिक वेबसाइट www.kribhco.net पर 'कृभचुनाव' का एक अलग लिंक दिया गया है। सदस्य समितियाँ अपने आवेदन संख्या को यूजर आईडी (User ID) और सदस्यता संख्या को पासवर्ड के रूप में उपयोग करके इस लिंक में लॉग इन करके जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।